

डिक्री वमुकदमें इक्टदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 26/2024

दायर दिनाँक 01.02.2024

वादी

प्रतिवादीगण

1. मोहम्मद खां पुत्र हबीब खां
जाति शैरानी निवासी के.जी.
एन. कॉलोनी, सुफिया
मौहल्ला, शैरानी आबाद
तहसील छोटी खाटू जिला
डीडवाना-कुचामन राज0।

बनाम्

2. बाबु उर्फ अख्तर हुसैन पुत्र जफरुदीन
3. असरफ अली पुत्र जफरुदीन
4. निसरुदीन पुत्र जफरुदीन
5. तोसिफ रजा पुत्र सुल्तान खां
6. रोशनी बानों पत्नी सुल्तान खां
7. हाजरा पत्नी जफरु खां (प्रतिवादी सं0 4
नाबालिक जरिये संरक्षक माता रोशन बानों
प्रतिवादी सं0 5) समस्त जाति शैरानी
निवासीगण शैरानी आबाद तहसील छोटी
खाटू जिला डीडवाना-कुचामन राज0।
8. तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा-53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 09.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील वादी की तरफ से मद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद डाबगांव पटवार हल्का लोरोली कलां भू0अभि0नि0 क्षेत्र केराप तहसील छोटी खाटू में खेत खसरा सं0 705 रकबा 0.4400 हैक्टे0 व खसरा सं0 786 रकबा 1.1600 हैक्टे0 व सरहद शैरानी आबाद पटवार हल्का शैरानी आबाद, भू0अभि0नि0 क्षेत्र खाटू खुर्द तहसील छोटी खाटू के खसरा सं0 1012 रकबा 3.5100 हैक्टे0 भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटी खाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 795 दिनाँक 20.08.2024 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटी खाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: 795 दिनाँक 20.08.2024 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.12.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सयूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक	-	-	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया है या नहीं दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना